

आदेश

समस्त तथ्यों पर विचार करते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्योचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चिड़ावा को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम तिगियास के भूमि खसरा नं० 259 रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा के नक्शा अनुसार वर्तमान तरमीम A B को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर बिन्दु संख्या ACB में दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। बिन्दु संख्या A B पूर्व में दर्ज रास्ते के रकबं को हजफ किया जाकर उतना ही रकबा नये रास्ते में बिन्दु संख्या ACB में दर्ज किया जावे। इसी अनुसार तहसीलदार चिड़ावा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार चिड़ावा को तहरीर जारी हों।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाप्ता दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय सुनवाई गया।

(डॉ० नरेश सोनी)

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा
उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा